

संचिका संख्या.-12/प0क0(बजट)11-11/2017- 90(12)व  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
सूची संलग्न।

पटना, दिनांक 28/03/2018


विषय-

मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत-उपमुख्य  
शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-0305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा  
शिक्षा में मानव संसाधन उपशीर्ष-के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्यांश के  
तहत कुल-133053000/- ( तेरह करोड़ तीस लाख तिरपन हजार ) रुपये मात्र  
अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत मांग सं0-20 विपत्र कोड सं0-20-  
2211001010305 में वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए राज्यांश के तहत कुल- 133053000/- ( तेरह  
करोड़ तीस लाख तिरपन हजार ) रुपये मात्र अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक-17.04.98 एवं 159 वि0 (2) दिनांक-  
20.03.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. यह आवंटन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में कार्यरत एल0एच0भी0/ ए0एन0एम0 के ही वेतनादि भुगतान हेतु  
निर्गत किया जा रहा है।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त एवं कार्यरत कर्मचारियों  
का ही वेतनादि का भुगतान करेंगे।
5. चालू वर्ष के वेतन भुगतान सुनिश्चित कर ही आवंटित राशि से बकाया भुगतान किया जाएगा ।  
सेवानिवृत्ति एवं न्यायादेश के आलोक में यदि वेतनादि भुगतान का मामला लम्बित हो तो सर्वप्रथम  
उपलब्ध आवंटन से भुगतान की कार्यवाई करेंगे । इकाई मदवार अद्यतन व्यय विवरणी के साथ  
संभावित अतिरिक्त आवंटन का इकाई मदवार अधियाचना विहित प्रपत्र में किया जाय ।
6. स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय, भारत सरकार नई, दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र  
संख्या-एम0-11018/1/2006-FWD दिनांक-20.04.2006 के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष  
2005-06 से स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के अधीनस्थ ऐच्छिक कार्य कर्ताओं का मासिक मानदेय, किराये पर  
संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का मकान भाड़ा, आकस्मिकताएं (कार्यालय व्यय) का भुगतान RCH  
Flexible Pool से किया जाना है अतः इस हेतु प्रस्तुत आवंटन में राशि का प्रावधान नहीं किया  
जा रहा है। इसका भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया  
जायेगा ।
7. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए प्राप्त आवंटन  
से अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यकता अनुसार राशि  
का उप आवंटन अपने स्तर से करेंगे।
8. इस राशि का व्यय मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण-केन्द्र प्रायोजित योजना-उपमुख्य  
शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 0305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में  
मानव संसाधन 20-2211001010305 उपशीर्ष के अन्तर्गत वहन होगा तथा चालू वित्तीय  
वर्ष-2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।



9. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व की भांति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, पटना होंगे।
10. आवंटित राशि का जिला स्तर पर समेकित व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 वी तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना तथा महालेखाकार कार्यालय से व्यय एवं प्राप्ति आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान अनिवार्य है।
11. निकासी-सह-व्ययन पदाधिकारी पत्र निर्गत होने के सात दिनों के अन्दर सभी कर्मियों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

← 28/3/18

( सच्चिदानन्द चौधरी ),  
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- 90(12)व

स्वा0/पटना दिनांक 28/03/2018

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट, शाखा, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख/ लेखा शाखा एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

← 28/3/18

सरकार के विशेष सचिव ।

मुख्य शीर्ष-2211 परिवार कल्याण

लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं

उपशीर्ष-0305-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन

विपत्र कोड- 20-2211001010305

अतिरिक्त आवंटन (राज्यांश)

वित्तीय वर्ष-2017-18

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जी०या०भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	वर्दी/ पोशाक	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	कुल योग-
1	पटना	0	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	5000000
2	नालंदा	5000000	10000000	0	0	0	0	15000000	0	0	0	0	15000000
3	गया	53000	5000000	0	0	0	0	5053000	0	0	0	0	5053000
4	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	भोजपुर	5000000	10000000	0	0	0	0	15000000	0	0	0	0	15000000
9	बक्सर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कैमूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मुजफ्फरपुर	10000000	10000000	2000000	0	0	0	22000000	0	0	0	0	22000000
13	बैशाली	5000000	5000000	0	0	0	0	10000000	0	0	0	0	10000000
14	सीतामढ़ी	2500000	2500000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	5000000
15	सारण	5000000	10000000	5000000	0	0	0	20000000	0	0	0	0	20000000
16	सिवान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	प०चम्पारण	5000000	10000000	0	0	0	0	15000000	0	0	0	0	15000000
19	पू०चम्पारण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मुंगेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	जमुई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90(12)अ  
28-3-18

KTR

28	खगड़िया	1500000	4500000	0	0	0	0	0	0	6000000	0	0	0	0	6000000
29	भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	बांका	5000000	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	सहरसा	0	0	0	0	0	0	0	0	15000000	0	0	0	0	15000000
32	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	पुर्निया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	अररिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	किसानगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	44053000	82000000	7000000	0	0	0	0	0	133053000	0	0	0	0	133053000

कुल योग-133053000 /- (तिरह करोड़ तीस लाख तिरैपन हजार रू०) मात्र

90(12)A  
28-3-18

सरकार के विशेष सचिव  
28/3/18

विपत्र कोड- 20-2211001010305

अतिरिक्त आवंटन (राज्यांश)

वित्तीय वर्ष-2017-18

व्यय सारांश

क्रमांक	इकाई व्यय	इकाई व्यय	बजट उपबंध	प्रथम अनुपूरक द्वितीय अनुपूरक तृतीय अनुपूरक अन्य स्रोत द्वारा उपबंधित राशि	प्रत्यापण के उपरांत उपलब्ध राशि	पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि	कुल बजट उपबंध (कॉडिका-04+ कॉडिका-05)	पूर्व का आवंटन	वर्तमान में आवंटन हेतु उपलब्ध राशि (प्रत्यर्पित राशि +पुनर्विनियोग द्वारा प्राप्त राशि-पूर्व का शेष उपबंध)	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि (कॉडिका-09+ कॉडिका-11)	शेष उपबंध (कॉडिका-10- कॉडिका-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01 01	वेतन	190000000	700000000	290530000	150000000	890000000	860947000	440530000	440530000	905000000	0
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	220000000	914300000	659650000	165000000	1134300000	1068335000	824650000	820000000	1150335000	4650000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	900000000	307000000	9250000	65000000	1207000000	1197750000	74250000	7000000	1267750000	4250000
4	01 05	परिवहन भत्ता	60000000	0	60000	60000	60000000	59940000	60000	0	59940000	60000
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	50000000	0	1180000	1180000	50000000	48820000	1180000	0	48820000	1180000
6	01 07	अन्य भत्ता	36000000	0	630000	630000	36000000	35450000	630000	0	35450000	630000
7	योग वेतन एवं भत्ते		5146000000	1645000000	961300000	380000000	2159600000	2063478000	1341300000	1330530000	21965310000	10770000
7	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	13000000	0	0	0	13000000	13000000	0	0	13000000	0
8	13 01	कार्यालय व्यय	34000000	0	0	0	34000000	34000000	0	0	34000000	0
9	13 04	विद्युत प्रभार	70330000	0	20000	20000	70330000	70130000	20000	0	70130000	20000
10	13 06	वर्दी पोशाक	50000000	0	0	0	50000000	50000000	0	0	50000000	0
11	28 01	व्यावसायिक विशेष सेवाएं	20000000	0	0	0	20000000	20000000	0	0	20000000	0
		कुल योग	5333333000	1645000000	961500000	380000000	2178333000	20801910000	1361500000	1330530000	2213244000	30970000

कुल योग-1330530000 / - (तेरह करोड़ तीस लाख तिरपेन हजार रू०) मात्र

90 (12) का  
28/3/18

28/3/18

सरकार के विशेष सचिव